85

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 89/2023

जितेन्द्र पोद्दार वगै० बनाम् लखन लाल पोद्दार वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख
23/02/24	अपीलार्थी 1. जितेन्द्र पोद्दार, पिता–लखन लाल पोद्दार, 2. रितु पोद्दार,, पति– जितेन्द्र पोद्दार, सभी निवास ग्राम–ममतागढ़ा बाजार टॉड, रामगढ़ कैन्ट, रामगढ़, जिला–रामगढ़ के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(C) No.-6058/2022 में दिनांक–16.08.2023 को पारित आदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर वाद संख्या–02/2022 (भरण–पोषण अधिनियम–2007) लखन लाल पोद्दार वगै० बनाम् जितेन्द्र पोद्दार वगै० में दिनांक–23.11.2022 को पारित आदेश विरूद्ध Under the Maintenance welfare of parents and Senior Citizen act 2007 के तहत् अपील दायर किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, विपक्षी एवं सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विविध अपील वाद माननीय न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार लाया गया है। आवेदक माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक–23/11/2022 को पारित आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील W.P.C 6058/2022 दायर किया था। अपीलार्थी के अपील की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक–16/08/2023 जो अपीलार्थी के अपील को खारीज करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय में अपील करने का निदेश दिया था। माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार आपके न्यायालय में उचित न्याय प्राप्त करने हेतु दायर किया है। आवेदक विपक्षी का इकलौका पुत्र और पुत्रवधु है, बाकी विपक्षी का कोई सहारा नहीं है। आवेदक अपनी सभी कर्तव्यों को भली–भाँति जानता और समझता है और उसे निभाता भी आ रहा है, जिसे दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट समझा जा सकता है। विपक्षी लोग सिर्फ मंझली पुत्री के प्रेम में आकार पुत्री और दामाद के बहकावे में आ कर पुत्र और पुत्रवधु को उनके पैतृक घर से निकलने के लिए उनके उपर एक से एक झुठा और घिनौना आरोप लगा कर समाज और न्यायालय के समक्ष बुरा साबित करने का कोशिश किया जा रहा है। जिसे माननीय न्यायालय अपने जाँच एजेन्सी से जाँच करवा के स्पष्ट कर सकते है। अपीलार्थी हमेशा अपने माता पिता को साथ रखना चाहता है, वह इसके लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है। और इस कारणवश न्यायालय और समाज के द्वारा दिए गए सभी	

निदेशों का पालन करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। माननीय न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी के द्वारा विपक्षी लोगों के लगातार मिलकर दिन-दिन भर न्यायालय परिसर में बैठ कर अनुमण्डल दण्डाधिकारी के द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने पर मजबूर कर दिया। जिसे अनुमण्डल दण्डाधिकारी के परिसर में लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज से स्पष्ट किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा न्यायालय परिसर में श्रीमान् का सहानुभूति पाने के लिए अपने आप को चलने फिरने के लिए सहारा का प्रयोग करते हैं। और परिसर से बाहर जाते ही बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते है। विपक्षी लोग श्रीमान् से भी सहानुभूति के आधार पर न्यायालय का आदेश को अपीलार्थी के खिलाफ करने का प्रयास कर रहे हैं। अपीलार्थी न्यायालय को यह बताना चाहता है कि विपक्षी ज्यों ही अपीलार्थी को घर से बेदखल करेगा, वैसे ही विपक्षी की बेटी मामूनी देवी और मनोज गोप घर को बेच कर राँची स्थिति अपना जमीन मे घर बना कर अपीलार्थी के माता पिता विपक्षी को दर-दर की ठोकर खाने के लिए छोड देंगे। इसलिए मामूनी देवी और मनोज गोप विपक्षी को अभी पुरा सहयोग कर रहे हैं, ताकि वो लोग माता पिता को मोहरा बना कर अपना काम निकाल सके, क्योंकि मनोज गोप और मामूनी देवी का वर्त्तमान में अपना कोई घर नहीं है और दोनों को प्रेम विवाह करने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया जा चुका है। इसलिए वो चाह रहे हैं, कि विपक्षी को बहला-फुसला कर उनको मोहरा बनाकर अपीलार्थी को घर से निकाल दे और वो आसानी से घर बेच सके, क्योंकि घर को लेने वाले ग्राहक प्रतिदिन घुम रहे हैं। जैसे ही अपीलार्थी को न्यायालय के आदेशानुसार घर से निकाला जाएगा, घर बिक्री हो जाएगा। और विपक्षी के बेटी और दामाद को मंशा पुरा हो जाएगा। विपक्षी का तीसरा पारा का कुछ भाग सही है, विपक्षी उक्त जमीन CCL के नौकरी के दौरान खरीदा था, परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है, जो मकान लॉन और रिटायरमेन्ट के पैसा से बना था। मकान का ग्राउण्ड फ्लोर विपक्षी के द्वारा बनाया गया है, बाकी उपर अपीलार्थी के शादी में प्राप्त सहयोग राशि और अपीलार्थी के कमाई से बनाया गया है। जिसका प्रमाण न्यायालय को आवश्यकता होने पर दिया जाएगा। विपक्षी का चौथा पारा भी बिल्कुल गलत है। अपीलार्थी विपक्षी को घर से नहीं निकाले हैं। विपक्षी का अभी भी कब्जा है, और हमेशा आना जाना है, साथ ही साथ किराया भी वसूल कर रहे है। अपीलार्थी के द्वारा मात्र एक दुकान अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटा सा फोटो कॉपी का दुकान चला रहे और एक कमरा अपने रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं। शेष सभी कमरा विपक्षी और उनकी बेटी मामूनी देवी के कब्जे में अभी भी है। और जो पंचायत के द्वारा तय राशि की बात कहते हैं। अपीलार्थी उसे पहले भी दे रहा था और आज भी देने को तैयार हैं। साथ ही साथ विपक्षी का भरण-पोषण एवं सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए न्यायालय को बंध-पत्र भी देने के लिए तैयार है। विपक्षी का नौवा पारा भी बिल्कुल गलत है, अपीलार्थी कभी भी विपक्षी को घर से बाहर नहीं रखना चाहा है, बल्कि विपक्षी ही अपीलार्थी को घर से निकालने के लिए एक से एक झुठा आरोप लगा रहे है। अपीलार्थी अभी न्यायालय से ही विपक्षी को पुरे सम्मान के साथ घर ले जाने को तैयार हैं। और उसका सारा देख-भाल और खर्च उठाने को तैयार है, जो उसका पुत्र और पुत्रवधु होने के नाते कर्तव्य भी है। विपक्षी द्वारा पारा बारह में भी लगाया गया आरोप गलत है, क्यों कि विपक्षी स्वयं मकान के सभी कमरो को ताला लगा कर

रखा है, और हमेशा घर में आकर रहते भी हैं। और सारे जरूरी समान आवश्यकता अनुसार रखते और ले भी जाते है। उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त वाद को समाप्त करते हुए विपक्षी को अपीलार्थी के साथ उनके मकान में रहने का आदेश पारित करने का कृपा करें, इसके लिए अपीलार्थी श्रीमान् का सदा आभारी रहेगा।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि भरण–पोषण एक्ट 2007 में सिर्फ भरण–पोषण के अलावा वरिष्ट नागरिकों के जीवन और सम्पति की सुरक्षा भी है। लेकिन आवेदक गण विपक्षी गणों के साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किया। और विपक्षी गणों की स्वअर्जित आय से बने घर से विपक्षी को निकाल कर घर को अपने कब्जे में कर रखा है। विपक्षी गणों ने जमीन CCL के नौकरी के दौरान खरीदा था। और उस जमीन पर मकान विपक्षी गणों ने अपने नौकरी, रिटायरमेन्ट और लोन के पैसे से बनाया था। विपक्षी गण की उम्र लगभग 75 वर्ष और 72 वर्ष है। अपने स्वअर्जित मकान से मार्च–2022 से अक्टुबर–2023 (19 माह) से बाहर है घर जाने पर आवेदक गण विपक्षी गण के साथ मारपीट करते है। जबकि स्वअर्जित घर जमीन में हक सिर्फ और सिर्फ मालिक का होता है। विपक्षी गण अपने माता–पिता होने का सारा फर्ज निभाया, बेटियों से ज्यादा अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बंगलौर जैसे बड़े शहर में इंजीनियर की पढ़ाई कराई लेकिन जब हमें बेटे की जरूरत पड़ी तो आवेदक गण विपक्षी गण के साथ मार पीट कर दिल्ली भाग गए। आवेदक गण 2021 में 12–13 वर्षो के बाद रामगढ़ आये तभी से घर बेचने और विपक्षी गण को घर से बाहर करने की साजिश रचने लगे और सबसे पहले दुकान को जनवरी 2021 में पहले रेंटर को हटा कर दुकान को आवेदक गण अपने कब्जे में ले लिया। विपक्षी गण द्वारा बनाए गए मकान के साथ दुकान को भी आवेदक गण अपने कब्जे में कर रखा है। जिससे विपक्षी गण को 3000 रूपये रेंट आता था उन्ही पैसो से विपक्षी गण अपना और अपनी पत्नी का इलाज करवाते थे। जनवरी 2021 से आवेदक गण ने जो विपक्षी गणों को दुकान कब्जा करके रखा है। उसका रेंट रू० 3000 प्रति माह जो की पंचायत में तय हुआ था। उसे दिलवाया जाय जिस से विपक्षी गण अपना इलाज करवा सके और अब तक का कर्जा चूका सके। 12–13 वर्षो से सम्पूर्ण देख रेख एवं सुरक्षा विपक्षी गणों की पुत्री के द्वारा किया जाता रहा है। आवेदक गण जान बूझकर कोई न कोई बहाना बना कर विपक्षी गणों को घर से बाहर रखने की कोशिश कर रहे है। कभी बीमारी का कभी हाई कोर्ट का। यह की बेटा बहु ने हमे धमकी दी की हमे कोर्ट दौड़ाते रहेगें लेकिन घर में नहीं घुसने देगें। हमें समय पर न्याय मिलना चाहिए। अनमुण्डल न्यायालय दण्डाधिकारी में आवेदक गण ने 16/11/22 को दायर अतिरिक्त कारणपृच्छा में कहा था की एक वर्ष का समय चाहिए। जो की बीत चूका है। आवेदक गण अपने कहे अनुसार घर दुकान छोड़ दे। विपक्षी गण अपने पूरे होशोहवाश में है। बेटे बहु और बहु के भाईयो द्वारा क्रूर व्यवहार जानलेवा हमला और भद्दी–भद्दी गालिया तथा कुछ जमीन दलालो द्वारा धमकी से आहत होकर आवेदक गण को बेदखल करने का फैसला लिया है ना की किसी के बहकावे में आकर। जिसका विपक्षी गण के पास पूर्ण साक्ष्य है। कुछ विडिओ और कुछ ऑडियो के रूप में। आवेदक गण का क्रूर चेहरा सिर्फ हम दोनो विपक्षी गण ही देखे है। विपक्षी गण का सारा जरूरी समान घर मे ही बंद है। आवेदक गण हमेशा ताला लगा कर रख देता है। इस कारण 2 वर्षो से विपक्षी गणों

को ठण्ड का कपडा तक लेने नहीं दिया और हमेशा ताला रहता है जिससे विपक्षी गणों की जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है। थाना की मदद से कुछ जरूरी सामान जब विपक्षी गण लेने गए थे तो आवेदक गण ने घर में बंधक बना दिया बाहर से ताला लगा दिया। 11–12 बजे रात में खुद थाना प्रभारी ने हमलोग को अपने ही घर से छुडवाए थे। आवेदक गण हमेशा आत्महत्या की धमकी देते है और कभी चाकू कभी रस्सी ले कर विपक्षी गण को बहुत परेशान करते है। आत्महत्या करके सभी को फसा देंगे धमकी देते है। आवेदक गण हमेशा विपक्षी गणों को जमीन और घर अपने नाम करवाने के लिए दबाव देते है और विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी देते है। 2021 में जब से आवेदक गण घर आये है। तब से विपक्षी गण का जीवन नर्क बना दिए है। मारपीट तोड़फोड़ गाली–गलौज पंचायत कोर्ट कचहरी यही सब दिन देखना पड़ रहा है। उपायुक्त महोदय जी से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना जल्दी हो सके विपक्षी गणों को अपने स्वयं के घर में ही रहने का अधिकार जल्द से जल्द दे क्योकि इस उम्र में विपक्षी गण जबरजस्ती अपने घर में बेटा–बहु और उनके भाइयों और जमीन दलालो का मुकाबला नहीं कर पा रहे है। आवेदक गण अपने आप को इतना लाचार बेबस दिखा रहे है। वे इतने बेबस नहीं है। वो बनारस में चुनार में 10 डिसमिल अपने पत्नी के नाम से जमीन खरीद चुका है और अब अपने सालो के साथ मिलकर मेरे 3 डिसमिल में बने मेरे मकान को बेचकर आवेदक गण बनारस में अपना हॉस्टल बनाना चाह रहा है। इसका विरोध करने पर विपक्षी गणों के साथ मारपीट तथा इसी कारण से घर से निकाल दिया। आवेदक दिल्ली में रहकर ZMR कंपनी में लाखो का हेरफेर किया फिर खुद का फैक्ट्री खोला और वहाँ के इनकम से 5 मंजिला मकान भी बनारस में सालो के साथ मिलकर बनाया है जहाँ आवेदक रहते भी थे। विपक्षी गण इन 2 वर्षो में घर से बाहर रहने के दौरान आवेदक गण के अत्याचार के कारण कई बार C.C.I. हॉस्पिटल नईसराय में भर्ती हुए। इस तरह और कुछ दिन चला तो विपक्षी गणों की जान जा सकती है जिसका पूरा दोष मेरे आवेदक गण को जायेगा। 2021 में जब से आवेदक गण घर में आये है। तब से विपक्षी गणो को लगातार केश में फसाने, भद्दी–भद्दी गालिया और जानलेवा हमला के कारण विपक्षी गण बेटा–बहु और उनके भाईयों से काफी डरे हुए है और मानसिक, शारीरिक रूप से दुर्बल भी हो गए जिससे अब हमलोग यह केश लड़ने की स्थिति में नहीं है। विपक्षी गण शांतिप्रिय एवं कानून को मानने वाले व्यक्ति है एवं साथ ही काफी बुजुर्ग है। आवेदक गण उदण्ड बदमाश एवं डकैत किस्म के लोग है। विपक्षी गणों को भगा कर बहु रीतू पोद्दार अपने भाई और कुछ जमीन दलालो का जमावडा बनाकर घर हथियाने की साजिश रचते रहते है जो नाजायज एवं गलत है। आवेदक गणों को और कोई समय न दिया जाय ताकि वे विपक्षी गणों को उनके ही घर से बाहर रखने में कामयाब होते रहे। कृपया घर और दुकान पर विपक्षी गणों को जल्द से जल्द कब्जा दिलाया जाय। विपक्षी गणों को उपायुक्त रामगढ न्यायालय से हाथ जोड कर विनती है कि आवेदक गण को विपक्षी गणों के आस पास भी ना रहने दिया जाय इनसे विपक्षी गणों को इनसे जान का खतरा है। क्योंकि आवेदक खुलेआम जान से मरने की धमकी देते रहते है।

रामगढ़ थाना के स०अ०नि०, श्री मनोज कुमार ने पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजे गये जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि,

"जाँच के क्रम में यह बात सत्य पाया गया कि आवेदनकर्ता लखन लाल पोद्दार अपने लड़की के बहकावे में आकर अपने ही पुत्र एवं पुत्रवधु को घर एवं चल अचल सम्पति से बेदखल कर देना चाहते है और साथ में यह भी पता चला है कि आवेदक को पुत्र एवं पुत्रबहु को घर से बाहर नहीं निकली हैं, बल्कि स्वयं आवेदक घर छोड़कर अपनी बेटी दमाद के पास किराये के मकान में रहने चले गये है साथ ही पुत्र और बहु के द्वारा निर्मत घर का मात्र नीचे का एक दुकान और उपर का एक कमरा उपयोग कर रहे हैं। शेष सभी कमरों में आवेदक स्वयं ताला लगाकर अपने कब्जे में रखे हैं एवं नीचे दुकानों का किराया भी स्वयं लखन लाल पोद्दार ले रहें हैं। तथा बेटी दामाद को सभी सम्पति लिख कर सौंप देना चाहते हैं, जाँच में यह भी पता चला कि, पहले ही रामगढ़ थाना धारा–107 द०प्र०सं० के तहत् किया गया है तथा बेटे बहु का बेदखल करने की केस हाई कोर्ट राँची से उपायुक्त महोदय रामगढ़ के पास चल रहा है।"

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा कि भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–2(b) में "Maintenance" includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment. Of Senior Citizens" का प्रावधान है। साथ ही साथ भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–16 के अनुसार भी Senior Citizens द्वारा अपील का प्रावधान है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–2(b) में "Maintenance" includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment- of Senior Citizens" का प्रावधान है। भरण–पोषण अधिनियम–2007 की धारा–16 के अनुसार :–

(1) Any senior citizen or a parent, as the case may be, aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal.

Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal.

Provided further that the Appellate Tribunal may, enteratain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time,

(2) On receipt of an appeal, the Apellate Tribunal shall, cause a notice to be served upon the respondent.

(3) The Appellate Tribunal may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.

(4) The Appellate Tribunal may, after examining the appeal and the records called for either allow or reject the appeal.

(5) The Appellate Tribunal shall, adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the Appellate Tribunal shall be final:

Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through a duly authorised representaive.

(6) The Appellate Tribunal shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.

(7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be sent to both the parties free of cost.

उपरोक्त के आलोक में सिर्फ, "किसी वरीय नागरिक" और माता–पिता को अपील आवेदन दायर करने का अधिकार प्रतीत होता है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.C 6058/2022 में दिए गए आदेश के आलोक में पुत्र व पुत्रवधु जितेन्द्र पोद्दार तथा रितु पोद्दार के अपील आवेदन पर सुनवाई की जा रही है।

उभय पक्ष को सुनने तथा रामगढ़ थाना स०अ०नि० द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद में केवल भरण पोषण का मुद्दा नहीं है, बल्कि बेटे बहु को घर जायदाद से बेदखल कर बेटी–दामाद को घर–जायदाद सौंपने की मंशा भी है, जिसके लिए भरण–पोषण न्यायालय अथवा Appellate Authority उचित मंच नहीं है। आवेदन व प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार घर के सिर्फ एक कमरे में आवेदक गण जितेन्द्र पोद्दार और रितु पोद्दार रहते हैं तथा एक अन्य कमरे में दुकान चलाते हैं, जबकि शेष कमरों में विपक्षी लखन लाल पोद्दार स्वंय ताला लगा कर रखे हैं। ऐसे में आवेदक को घर खाली करने के आदेश को अधिक कठोर तथा माता–पिता के भरण–पोषण के लिए अनावश्यक पाते हुए निम्नलिखित निर्णय दिए जाते हैं :–

(1) आवेदक अपने माता–पिता के भरण–पोषण के लिए प्रत्येक महीने रू 5,000/– उनके बैंक खाता में जमा कराएंगे। यह राशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंदर जमा करा दी जानी अनिवार्य होगी।

(2) आवेदक अपने माता–पिता के चिकित्सीय आवश्यकता, दवा इत्यादि का संपूर्ण खर्च वहन करेंगे, जो उपर उल्लेखित मासिक रू 5,000/– से अतिरिक्त होगा।

(3) आवेदक अपने रहने के एक कमरे तथा दुकान के कमरे के अतिरिक्त किसी अन्य कमरे पर कब्जा करने अथवा माता–पिता द्वारा उनके शांतिपूर्वक उपयोग में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे।

(4) विपक्षी को लगातार दो महीने अथवा कुल दो महीने भरण–पोषण की राशि प्राप्त नहीं होने या कंडिका (2) या कंडिका (3) का प्रथम पक्ष द्वारा उल्लंघन करने पर विपक्षी पुनः इस न्यायालय में साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(5) ऐसे में उल्लंघन की पुष्टि होने पर प्रथम पक्ष को घर खाली करने का आदेश दिया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को वापस करें।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 23/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 23/02/24
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.03.11 13:17:18 +05:30
Location: 192.168.169.197